

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मार्च 2024-चैत्र 1, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ-1-1-1-05-2024-मेडि-सत्रह

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-एक-द के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

“अनुसूची - एक-इ
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एसोसिएट प्रोफेसर	40	तृतीय-श्रेणी	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 49100, लेवल-11
2.	असिस्टेंट प्रोफेसर	70	-तद्वैव -	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 42700, लेवल-10
3.	सिस्टर द्यूटर/द्यूटर	308	-तद्वैव -	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 36200, लेवल-9

अनुसूची - एक-इ (अ)

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लाइब्रेरियन	18	तृतीय-श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 32800, लेवल-8
2.	कार्यालय अधीक्षक	18	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 28700, लेवल-7
3.	प्राचार्य का निज सहायक	18	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 25300, लेवल-6
4.	अकाउंटेंट/कैशियर	18	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 25300, लेवल-6
5.	सहायक ग्रेड-दो	36	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 25300, लेवल-6
6.	वार्डन (महिला)	54	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 22100, लेवल-5
7.	निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड -तीन)	36	-तदैव -	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 19500, लेवल-4

अनुसूची - एक-इ (ब)

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्लास रूम अटेन्डेन्ट	36	चतुर्थ-श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु 15500, लेवल-1
2.	भृत्य / आफिस अटेन्डेन्ट	72	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 15500, लेवल-1
3.	गार्डनर (माली)	18	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 15500, लेवल-1 ।।

(2) अनुसूची-दो-द के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची - दो-इ

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		अभ्युक्तियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एसोसिएट प्रोफेसर	तृतीय-श्रेणी	40	-	100%	कॉलम (8) में उल्लिखित पदों के लिए, यदि उस समय पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्था उपलब्ध नहीं है अथवा यदि पदोन्नति के लिए कोई विधिक बाधा है, तो पद सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे
2.	असिस्टेंट प्रोफेसर	-तदैव -	70	40%	60%	-तदैव-
3.	सिस्टर ट्यूटर/ ट्यूटर	-तदैव -	308	90%	10%	-तदैव-

अनुसूची - दो-इ (अ)
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		अभ्युक्तियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लाइब्रेरियन	तृतीय-श्रेणी	18	100%	-	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
2.	कार्यालय अधीक्षक	-तदैव -	18	-	100%	कॉलम (6) में उल्लिखित पदों के लिए, यदि भर्ती के समय पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि पदोन्नति के लिए कोई विधिक बाधा है, तो पद सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे
3.	प्राचार्य का निज सहायक	-तदैव -	18	100%	-	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
4.	अकाउंटेंट / कैशियर	-तदैव -	18	100%	-	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
5.	सहायक ग्रेड-दो	-तदैव -	36	20%	80%	कॉलम (6) में उल्लिखित पदों के लिए, यदि उस समय पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि पदोन्नति के लिए कोई विधिक बाधा है, तो पद सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे
6.	वार्डन (महिला)	-तदैव -	54	-	-	नरिंग महाविद्यालय के शैक्षणिक संकाय को पद का प्रभार सौंपकर
7.	निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड -तीन)	-तदैव -	36	100%	-	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन

अनुसूची - दो इ (ब)

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		अभ्युक्तियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	क्लास रूम अटेंडेन्ट	चतुर्थ-श्रेणी	36	-	-	पद आउट सोर्स के आधार पर भरे जाएंगे
2.	भृत्य/आफिस अटेंडेन्ट	-तदैव-	72	-	-	-तदैव-
3.	गार्डनर (माली)	-तदैव-	18	-	-	-तदैव - 1"।

(3) अनुसूची-तीन-द के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"अनुसूची - तीन-इ

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हता

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक पात्रता तथा अनुभव	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	एसोसिएट प्रोफेसर	27 वर्ष	शासन द्वारा यथा निर्धारित	शैक्षणिक संवर्ग हेतु भारतीय उपचर्या परिषद (आई एन सी) द्वारा यथा निर्धारित	
2		असिस्टेंट प्रोफेसर	25 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -	
3		सिस्टर ट्यूटर/ ट्यूटर	22 वर्ष	-तदैव -	-तदैव -	

अनुसूची - तीन-इ (अ)
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हता

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	पात्रता तथा अनुभव	अभ्युक्तिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	लाइब्रेरियन	18 वर्ष	शासन द्वारा यथा निर्धारित	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक। 5 वर्ष का कार्य अनुभव	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
2.		कार्यालय अधीक्षक	18 वर्ष	-तदैव-	सीधी भर्ती के लिए सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव एवं सहायक ग्रेड-एक/ लेखापाल के पद पर 8 वर्ष का कार्य अनुभव।	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
3.		प्राचार्य का निज सहायक	18 वर्ष	-तदैव-	1. मध्यप्रदेश के किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. सीपीसीटी उत्तीर्ण के साथ निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है- (क) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ग) डी ओ ई एस सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मास्टर ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (ङ) शासकीय आई टी आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अरिस्टेंट (कोपा) प्रमाण पत्र।	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
4.		अकाउंटेंट/ कैशियर	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अंकेक्षण परीक्षा उत्तीर्ण तथा लेखापाल के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव।	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		सहायक ग्रेड-दो	18 वर्ष	-तदैव -	<p>1.राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>2.सीपीसीटी उत्तीर्ण के साथ निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है :-</p> <p>(क) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से गार्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।</p> <p>(ङ) शासकीय आई टी आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण पत्र ।</p> <p>सहायक ग्रेड-एक के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव ।</p>	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (एम पी ई एस बी) के माध्यम से चयन
6.		वार्डन (महिला)	18 वर्ष	-तदैव -	-	नर्सिंग महाविद्यालय के शैक्षणिक संकाय को पद का प्रभार सौंपकर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.		निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड -तीन)	18 वर्ष	-तदेव -	<p>1.राज्य माध्यमिक शिक्षा गंडल से 10+2 हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>2.सीपीसीटी उत्तीर्ण के साथ निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है :-</p> <p>(क) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(ग) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ।</p> <p>(ङ) शासकीय आई टी आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण पत्र ।</p>	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (एन पी ई एस वी) के माध्यम से चयन।।।

(4) अनुसूची-चार-स के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची – चार इ

(नियम 15 देखिए)

पदोन्नति का तरीका, आवश्यक अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	इस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	इस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पात्रता एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	एसोसिएट प्रोफेसर	प्रोफेसर	शैक्षणिक संवर्ग के लिए भारतीय उपचर्या परिषद (आई एन सी) द्वारा यथा निर्धारित	1.अध्यक्ष – विभागाध्यक्ष 2.सदस्य – संचालक (नर्सिंग/पैरामेडिकल) 3.सदस्य -- अतिरिक्त / संयुक्त संचालक 4.सदस्य-अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि 5.सदस्य सचिव -- उप-संचालक, स्थापना
2.		असिस्टेंट प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	-तदैव -	-तदैव -
3.		सिस्टर ट्यूटर/ ट्यूटर	असिस्टेंट प्रोफेसर	-तदैव -	-तदैव -

अनुसूची - चार इ (अ)

(नियम 15 देखिए)

पदोन्नति का तरीका, आवश्यक अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सहायक ग्रेड-दो/ अकाउंटेंट/ कैशियर	कार्यालय अधीक्षक	1.लेखापाल के पद पर 08 वर्ष का कार्य अनुभव 2.सहायक ग्रेड --दो के पद पर 13 वर्ष का कार्य अनुभव	1.अध्यक्ष - विभागाध्यक्ष 2.सदस्य - संचालक (नर्सिंग/ पैरामेडिकल) 3.सदस्य - अतिरिक्त/ संयुक्त संचालक 4.सदस्य-अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि 5.सदस्य सचिव - उप-संचालक, स्थापना -तदर्थ -
2		निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड -तीन)	सहायक ग्रेड-दो/ अकाउंटेंट/ कैशियर	05 वर्ष का अनुभव एवं कैशियर हेतु अंकेक्षण परीक्षा उत्तीर्ण।	

F-1-1-1-05-2024-Medi-XVII.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of the Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Medical Education (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) After Schedule-I-D, the following Schedules shall be added, namely:-

“Schedule-I-E

(see rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Posts included in the service

S.No.	Name of post	Total number of posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Associate Professor	40	Class-III	Pay of 7 th Scale Rs.49100, Level-11
2.	Assistant Professor	70	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.42700, Level-10
3.	Sister Tutor/Tutor	308	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.36200, Level-9

Schedule-I-E (A)

(see rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Posts included in the service

S.No.	Designation	Number of posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Librarian	18	Class-III	Pay of 7 th Scale Rs.32800, Level-8
2.	Office Superintendent	18	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.28700, Level-7
3.	Personal Assistant to Principal	18	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.25300, Level-6
4.	Accountant / Cashier	18	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.25300, Level-6
5.	Assistant Grade-II	36	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.25300, Level-6
6.	Warden (Female)	54	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.22100, Level-5
7.	Lower Division Clerk (Assistant Grade-III)	36	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.19500, Level-4

Schedule-I-E (B)

(see rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and number of posts included in the service

S.No.	Designation	Number of posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Class Room Attendant	36	Class-IV	Pay of 7 th Scale Rs.15500, Level-1
2.	Peon/ Office Attendant	72	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.15500, Level-1
3.	Gardner (Mali)	18	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.15500, Level-1."

- (2) After Schedule-II-D, the following Schedules shall be added, namely:-

“SCHEDULE-II-E

(see rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Post	Name of service	Total number of posts	Number of the Posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Associate Professor	Class-III	40	-	100% *	*For posts mentioned in column (6), if eligible candidates are not available at that time or if there is legal hindrance for promotion, the posts may be filled by direct recruitment /deputation
2.	Assistant Professor	-do-	70	40%	60%	-do-
3.	Sister Tutor / Tutor	-do-	308	90%	10%	-do-

Schedule-II-E (A)
(see rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of Post	Classification	Total number of posts	Number of the Posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Librarian	Class-III	18	100%		Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
2.	Office Superintendent	-do-	18		100%	For posts mentioned in column (6), if eligible candidates are not available at the time of recruitment or if there is any legal hindrance for promotion, the posts may be filled by direct recruitment /deputation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Personal Assistant to Principal	-do-	18	100%	-	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
4.	Accountant / Cashier	-do-	18	100%	-	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
5.	Assistant Grade-II	-do-	36	20%	80%	For posts mentioned in column (6), if eligible candidates are not available at that time or if there is legal hindrance for promotion, the posts may be filled by direct recruitment /deputation
6.	Warden (Female)	-do-	54	-	-	By assigning charge of the post to faculty of College of Nursing.
7.	Lower Division Clerk (Assistant Grade-III)	-do-	36	100%	-	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)

Schedule-II-E (B)
(see rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of Post	Classification	Total number of posts	Number of the Posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Class Room Attendant	Class-IV	36			Posts shall be filled by Out Source basis
2.	Peon/ Office Attendant	-do-	72			-do-
3.	Gardner (Mali)	-do-	18			-do-

- (3) After Schedule-III-D, the following Schedules shall be added, namely:-

“Schedule-III-E

(see rule 8)

Age and Qualification for Direct Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Eligibility and Experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Public Health and Medical Education	Associate Professor	27 years	As determined by the Government	As determined by Indian Nursing Council (INC) for Academic Cadre	
2		Assistant Professor	25 years	-do-	-do-	
3		Sister Tutor/ Tutor	22 years	-do-	-do-	

Schedule-III-E (A)

(see rule 8)

Age and Qualification for Direct Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Eligibility and Experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Public Health and Medical Education	Librarian	18 years	As determined by the Government	Graduation in Library Science from a recognized University. 5 years' work experience	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
2.		Office Superintendent	18 years	-do-	For Direct Recruitment, 3 years' work experience on the post of Assistant Office Superintendent and 8 years' work experience on the post of Assistant Grade-I /Accountant	Direct Recruitment /Deputation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.		Personal Assistant to Principal	18 years	-do-	<p>1. Graduation from any College / University of Madhya Pradesh.</p> <p>2. It is mandatory to pass CPCT with 1 year Diploma/ Certificate Computer Examination from any one of the following institutions -</p> <p>(a) Diploma from University recognized by UGC.</p> <p>(b) Diploma from any Open University recognized by UGC.</p> <p>(c) Diploma level examination from D.O E.A C.C.</p> <p>(d) Passed Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(e) One year 'Computer Operator and Programming Assistant' (COPA) certificate from Government ITI.</p>	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.		Accountant / Cashier	18 years	-do-	Graduation from a recognized University, Passed Audit Examination and 5 years' work experience as Accountant	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
5.		Assistant Grade - II	18 years	-do-	1. Passed 10+2 Higher Secondary Examination from State Board of Secondary Education. 2. It is mandatory to pass CPCT with 1 year Diploma /Certificate Computer Examination from any one of the following institutions - (a) Diploma from University recognized by UGC. (b) Diploma from any Open	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)

					<p>University recognized by UGC.</p> <p>(c) Diploma level examination from D.O E.A C.C</p> <p>(d) Passed Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(e) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government ITI.</p> <p>5 years work experience on the post of Assistant Grade-I</p>	
6.		Warden (Female)	18 years	-do-		By assigning charge of the post to faculty of College of Nursing.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.		Lower Division Clerk (Assistant Grade-III)	18 years	-do-	<p>1. Passed 10+2 Higher Secondary Examination from State Board of Secondary Education.</p> <p>2. It is mandatory to pass CPCT with 1 year Diploma/ Certificate Computer Examination from any one of the following institutions</p> <p>(a) Diploma from University recognized by UGC.</p> <p>(b) Diploma from any Open University recognized by UGC.</p> <p>(c) Diploma level examination from D.O. E.A. C.C.</p> <p>(d) Passed Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(e) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) Certificate from Government ITI.</p>	Selection through Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB).".

- (4) After Schedule-IV-C, the following Schedules shall be added, namely:-

“Schedule-IV-D

(see rule 15)

Mode of Promotion, Required Experience and members of Departmental Promotion Committee

S. No.	Name of Department	Name of the post from which promotion shall be made	Name of the post to which promotion shall be made	Eligibility and Experience	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Public Health and Medical Education	Associate Professor	Professor	As determined by Indian Nursing Council (INC) for Academic Cadre	1. Chairman - Head of the Department. 2. Member - Director (Nursing/ Paramedical) 3. Member-Additional /Joint Director 4. Member Representative of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes nominated by Chairman. 5. Member Secretary - Deputy Director, Establishment.
2.		Assistant Professor	Associate Professor	-do-	-do-
3.		Sister Tutor/ Tutor	Assistant Professor	-do-	-do-

Schedule-IV-D (A)

(see rule 15)

Mode of Promotion, Required Experience and members of Departmental Promotion Committee

S. No.	Name of Department	Name of the post from which promotion shall be made	Name of the post to which promotion shall be made	Essential Qualification and Experience	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Public Health and Medical Education	Assistant Grade- II / Accountant / Cashier	Office Superintendent	1. 08 years' work experience on the post of Accountant. 2. 13 years work experience on the post of Assistant Grade-II.	1. Chairman - Head of the Department. 2. Member - Director (Nursing/ Paramedical) 3. Member-Additional /Joint Director 4. Member - Representative of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes nominated by Chairman. 5. Member Secretary Deputy Director Establishment -do-"
2.		Lower Division Clerk (Assistant Grade-III)	Assistant Grade - II / Accountant / Cashier	5 years' work experience and passed Audit Examination for Cashier.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, सचिव.